



राँची नगर निगम का कार्यालय

कचहरी चौक, राँची— 834001, झारखण्ड

मो० 94311 04429, ई—मेल: support@ranchimunicipal.com



प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक “भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण” अंतर्गत आनि, राँची में नई एवं उभरती तकनीक से **Light House Project** अंतर्गत निर्मित होने वाले आवास के पंजीकरण हेतु

आवेदन—पत्र

आवासीय परियोजना का नाम

Light House Project. आनि. राँची आवासीय परियोजना

पंजीकरण पुस्तिका सं०

पंजीकरण पुस्तिका देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं बैंक का मुहर

Survey-ID No.

1. आवेदक का पूरा नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. आधार कार्ड नं. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. लिंग पुरुष महिला उभयलिंगी
5. धर्म :
6. जाति :
7. कोटि : सामान्य अनूसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग
8. आवेदक की जन्म तिथि :

--	--	--	--	--	--

 आवेदक की उम्र
9. वैवाहिक स्थिति : विवाहित अविवाहित एकल महिला विधवा
10. : वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग
11. आवेदक पूरा पता : गली..... वार्ड न०..... लैंड मार्क
- पिन कोड..... जिला राज्य
12. मोबाइल नं. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--
13. ई—मेल आई.डी. (यदि हो) :
14. व्यवसाय :
15. आधार कार्ड नं० :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16. पैन कार्ड नं. (यदि हो) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17. बैंक खाते का विवरण
(क) बैंक खाता संख्या :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- (ख) बैंक का नाम :

आवेदक का वर्तमान रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित

(ग) शाखा का नाम :

(घ) IFSC कोड :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18. आवेदक को आवास ऋण की आवश्यकता है (हाँ / नहीं)

--

19. परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु०.....

20. मैं वचन देता / देती हूँ कि यदि मेरा आवेदन पत्र स्वीकार कर आवासीय इकाई आवंटित होती है तो मैं आवासीय इकाई हेतु निर्धारित राशि समय सीमा में जमा करा दूँगा / दूँगी।

21. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई जानकारी भविष्य में असत्य पाई जाती है तो मेरा आवंटन रद्द करने का अधिकार राँची नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

22. मेरे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक हेतु राँची नगर निगम कार्यालय में से समर्पित आवेदन पुर्णतः सत्य है एवं यदि कोई जानकारी भविष्य में असत्य पाई जाती है तो मेरा आवासीय आवंटन को रद्द करने का अधिकार राँची नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

23. आवासीय इकाई के आवंटन हेतु आवेदन के साथ संलग्न शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है तथा मुझे समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

मोबाइल नं०

नामित व्यक्ति एवं परिवारिक सूचना
NOMINATION AND FAMILY DETAILS

1. आवेदक का नाम Survey ID No.
2. परिवार के सदस्यों की संख्या
3. परिवार के सदस्यों का विवरण

क्र०	नाम	आयु	आवेदक से संबंध
I.			
II.			
III.			
IV.			
V.			
VI.			
VII.			

4. उत्तराधिकारी का नाम एवं आयु
5. उत्तराधिकारी के साथ आवेदन का संबंध
6. उत्तराधिकारी अवयस्क होने की दशा में अवयस्क के अभिभावक का नाम व पता
-
-

उपरोक्त विवरण की सत्यता मैं स्वयं प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ।

दिनांक:-

आवेदक का हस्ताक्षर
मोबाइल नं०



राँची नगर निगम का कार्यालय

कचहरी चौक, राँची-834001, झारखण्ड

मो० 94311 04429, ई-मेल: support@ranchimunicipal.com



प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के Light House Project, आनि, राँची अंतर्गत आवास आवंटन की शर्तें

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है तथा मिशन के क्रियान्वयन हेतु ‘स्कीम दिशा—निर्देश 2015’ निर्गत किये गये हैं। यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लूएस0) के परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लूएस0) रु0 3.00 लाख तक वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार माने जायेंगे। मिशन का उद्देश्य आधारभूत सिविक (नागरिक) अवस्थापना सहित 27–30 वर्गमीटर के कारपेट एरिया तक के आवासों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है।

1. योजना का विवरण :-

राँची शहरी क्षेत्र में आवासविहीनों के लिए आनि, राँची में **Light House Project** अंतर्गत G+8 संरचना में कुल 07 ब्लॉकों में कुल 1008 आवासों का निर्माण प्रस्तावित है।

योजनान्तर्गत निर्माण किए जाने वाले आवासीय परिसरों के मुख्य प्रावधान निम्नवत हैं:-

- 1.1. प्रत्येक आवास का Carpet Area 30 वर्ग मी० तक का होगा। प्रत्येक आवास में एक कमरा, एक हॉल (Hall), एक रसोई (Kitchen), एक शौचालय (Toilet) एवं एक स्नानघर (Bath Room) होगा।
- 1.2. आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे Boundary Wall, Gate, Road, Drain, Sewerage, Water Supply Pipeline, External Electrification, Street Light, Rain Water Harvesting, Solid/Liquid Waste Management, Community Hall, etc. का भी निर्माण किया जाएगा।
- 1.3. आवास की वर्तमान लागत :-

Light House Project, आनि, राँची आवासीय परियोजना	
आवास की लागत	13.29 लाख रु०
कैन्द्रांश	5.50 लाख रु०
राज्यांश	1.00 लाख रु०
लाभुक अंशदान	6.79 लाख रु०

2. पात्रता:-

- 2.1. योजनाओं के अन्तर्गत लाभुक के परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भी भाग (स्थान) में अपने अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं है, वही परिवार इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।
- 2.2. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी कमजोर आर्थिक वर्ग (EWS) के ही होंगे, जिनकी वार्षिक आय रु0 3.00 लाख या रु0 3.00 लाख से कम होगी।
- 2.3. ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अंतर्गत अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करके आवास प्राप्त किया हो, ऐसे लाभार्थी पात्र नहीं होंगे।
- 2.4. लाभुक की पात्रता के लिए कट-ऑफ-डेट (Cut-off-date) मिशन के शुभारम्भ की तिथि अर्थात् दिनांक—17.06.2015 है।

- 2.5. लाभार्थी को योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त कट-ऑफ-डेट के पूर्व उस शहरी क्षेत्र/स्लम का निवासी होना अनिवार्य है।
 - 2.6. लाभार्थी का स्थानीय निकाय क्षेत्र का Voter ID Card होना अनिवार्य है।
 - 2.7. लाभुक का आधार कार्ड एवं बैंक एकाउंट संख्या होना अपेक्षित है।
 - 2.8. लाभुक मिशन के विभिन्न घटकों में से केवल एक ही घटक का लाभ ले सकते हैं।
3. आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन निम्नांकित माध्यमों से किया जा सकता है :-
- विकल्प-I लाभार्थी द्वारा स्वयं शहरी एवं आवासन मंत्रालय के वेबसाइट www.pmaymis.gov.in के माध्यम से निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है (Annexure-I)।
 - विकल्प-II लाभार्थी द्वारा Common Service Center (CSC) के माध्यम से आवेदन वेबसाइट के माध्यम से रूपये 25/- (वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त) शुल्क भुगतान के साथ किया जा सकता है।
 - विकल्प-III लाभार्थी नगर निकाय से आवेदन पत्र, घोषणा पत्र एवं लाभुक सहमति पत्र का प्रारूप प्राप्त कर Offline भी भरकर निकाय में जमा कर सकते हैं।
- 3.1. उपरोक्त तीनों में से किसी एक विकल्प को अपनाते हुए लाभुक को सहमति पत्र जमा करना होगा। उक्त सहमति पत्र (Consent Form) विभागीय वेबसाइट www.udhd.jharkhand.gov.in से डॉउनलोड किया जा सकता है, अथवा निकाय से प्राप्त कर सकते हैं।
 - 3.2. पूर्व में आवेदन करने वाले लाभुक, वेबसाइट पर पूर्व से भरे आवेदन में सूचनाएँ उपरोक्त विकल्पों से चुनते हुए अद्यतन कर सकते हैं, तत्पश्चात् उसे संबंधित निकाय में जमा करना होगा।
4. सुयोग लाभुकों के आवेदनों की जाँच
- 4.1. PMAY(U) के निर्धारित दिशानिर्देशों के आलोक में निकाय द्वारा आवेदनों की जाँच की जाएगी, जाँच उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को 'पात्र लाभार्थी' माना जाएगा।
 - 4.2. अनुमोदित 'पात्र लाभार्थियों' की सूची Website और निकाय सूचना-पट में प्रकाशित की जाएगी एवं नियमित अंतराल पर अद्यतन की जाएगी।
 - 4.3. अनुमोदित 'पात्र लाभार्थियों' के Data base को आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित बैंक को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
5. योजनावार आवासों हेतु पंजीकरण
- 5.1. इच्छुक 'पात्र लाभार्थी' समय सीमा के भीतर निकाय में आवेदन कर सकते हैं।
 - 5.2. योजना विवरणीका (Project Brochure) विभाग / निकाय के Website से निःशुल्क Download किया जा सकता है अथवा निकाय से 200/- (Non Refundable) भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। योग्य लाभार्थी योजना विवरणीका (Project Brochure) में संलग्न चालान में सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) के रूप में 5000/- रु० की राशि निर्धारित बैंकों में जमा कर सकते हैं। यदि लाभार्थी आवास आवंटन के पूर्व आवेदन वापस ले लेता है अथवा जो लाभार्थी प्रतीक्षासूची में होंगे, उन्हें उनकी सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) की राशि वापस कर दी जायेगी।
 - 5.3. आवंटित आवास के लाभुकों का सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) 5000/- रु० आगे उनके द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।
 - 5.4. बैंक के द्वारा पंजीकरण की तिथि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त सभी आवेदनों की मूल प्रति अभिस्वीकृति प्रपत्र (चालान) के साथ नगर निकाय के कार्यालय में जमा किया जाएगा।

6. आवास आवंटन की व्यवस्था

6.1. आवास आवंटन हेतु समिति का गठन:—

आवास आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष/सदस्य निम्नवत् होंगे:—

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • नगर आयुक्त, राँची | — अध्यक्ष |
| • उपायुक्त के प्रतिनिधि | — सदस्य |
| • लाभुकों के एक प्रतिनिधि | — सदस्य |

7. आवास आवंटन की प्रक्रिया

7.1. लॉटरी की तारीख और स्थान विज्ञापन और Website के माध्यम से सूचित किया जाएगा। लॉटरी व्यवस्था के तारीख और स्थान के बारे में आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाएगा।

7.2. परियोजना के आवासों के आवंटन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

- लॉटरी के माध्यम से सभी आवेदित लाभुकों का वरीयता सूची तैयार की जाएगी।
- उक्त वरीयता सूची से ही वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन (Locomoter) की भी वरीयता सूची अलग से तैयार की जाएगी।
- निकाय उक्त लॉटरी प्रक्रिया का Video graphy कराना सुनिश्चित करेंगे एवं लॉटरी की पूर्व निर्धारित तिथि का वृहद प्रचार-प्रसार करेंगे। संबंधित वरीयता सूची निकाय अपने Website में Upload करेंगे एवं इसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से देना सुनिश्चित करेंगे।
- वरीयता सूची के आधार पर लाभार्थियों को उक्त आवासीय परियोजना के नक्शे (जिसमें आवासीय परियोजना के ब्लॉक, फ्लैटों की संख्या अंकित होगी) में से फ्लैट को चुनने का मौका मिलेगा।
- यदि कोई वरीयता सूची का लाभार्थी फ्लैट का चयन नहीं करता है, तो उसके द्वारा जमा सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) वापस कर दी जाएगी।
- यदि कोई चयनित लाभार्थी एक माह के अन्दर लाभुक अंशदान का अग्रिम राशि जमा नहीं करता है तो उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा जमा राशि, (Security Deposit) रु० 5000/- (पांच हजार रुपये) जब्त कर ली जाएगी।
- यदि कोई लाभार्थी आवास आवंटन की तिथि को अनुपरिखत रहता है तो उनके आवंटन को रद्द मानते हुए सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) वापस कर दी जाएगी।
- सफल आवंटियों की सूची Website, समाचार पत्र और निकाय सूचना-पट में प्रकाशित की जाएगी।
- यदि किसी आवेदक द्वारा आवेदन की गई परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना में आवंटन प्राप्त होता है तो किसी अन्य परियोजनाओं के लिए उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी।

8. आरक्षण:—

8.1. लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले आवासों में से भूतल अथवा प्रथम रिहायसी तल दिव्यांगजन (Locomoter) के लिए आरक्षित होंगे एवं **G+1** अथवा द्वितीय रिहायसी तल (जहाँ भूतल पर पार्किंग की व्यवस्था हो) वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित होंगे।

8.2. आवास आवंटन के क्रम में दिव्यांगजन (Locomoter) के लिए आरक्षित भूतल अथवा प्रथम रिहायसी तल आवास यदि रिक्त रह जाते हैं तो उक्त आवास, वरिष्ठ नागरिकों को आवंटित कर दिये जायेंगे। वरिष्ठ नागरिक न मिलने की स्थिति में उक्त आवास, सामान्य (अनारक्षित) कोटि के लोगों को आवंटित कर दिये जायेंगे।

8.3. यदि वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित **G+1** अथवा द्वितीय रिहायसी तल आवास रिक्त रह जाते हैं तो उक्त आवास, सामान्य (अनारक्षित) कोटि के लोगों को आवंटित कर दिये जायेंगे।

9. आवंटन के प्रावधान
- 9.1. आवासों का आवंटन पूर्ण स्वामित्व (Freehold) के आधार पर किया जायेगा।
 - 9.2. योजनान्तर्गत लाभुकों को आवास एवं सन्निहित जमीन का स्वामित्व, 15 वर्षों के lock in period के बाद या लाभुक के वित्तीय संस्थान से लिए गए गृह ऋण से मुक्त होने के बाद, जो बाद में हो, दिया जाएगा।
 - 9.3. योजनान्तर्गत लाभुकों का आवंटित आवास प्रथम 15 (पन्द्रह) वर्षों तक अहस्तांतरणीय होगा, किन्तु उक्त आवंटित आवास संबंधित लाभुकों के वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम लाभुक के मरणोपरांत हस्तांतरित किया जा सकेगा।
 - 9.4. योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों द्वारा ससमय ऋण का पुनर्भुगतान नहीं करने की स्थिति में आवास आवंटन रद्द करते हुए नये पात्र लाभार्थी को आवास आवंटित किया जा सकेगा।
 - 9.5. आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में दी गई जानकारी गलत साबित होने पर आवंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा ऐसे आवेदक कानूनी कार्रवाई के जिम्मेदार होंगे।

10. आवंटन पत्र

- 10.1. उक्त आवास आवंटन पत्र में ब्लॉक क्रमांक, तल संख्या, आवासीय इकाई क्रमांक संख्या, आवासीय इकाई की कुल लागत एवं नियमानुसार लाभुक द्वारा जमा किये जाने वाले शेष राशि का Schedule उल्लेखित होगा।
- 10.2. आवंटी को आवास आवंटन के 30 दिनों अंदर अग्रिम राशि रु० 20,000/- बैंकर्स चेक /डी०डी०/ RTGS /NEFT/ के माध्यम से Jharkhand Affordable Housing Development Fund (JAHDF) में जमा करानी होगी। तत्पश्चात् आवास का “विक्रय के लिए एकरारनामा” (**Agreement of Sell**) की मूल प्रति आवंटी को निकाय के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। लाभुक द्वारा यदि बैंक से, ऋण लिया जाएगा तो “विक्रय के लिए एकरारनामा” (**Agreement of Sell**) सीधे संबंधित बैंक को उपलब्ध करा दी जाएगी।
- 10.3. लाभुक को अंशदान की शेष राशि निर्माण कार्य शुरू होने के पश्चात् कंडिका संख्या— 13.1 के अनुसार बराबर किस्तों में बैंकर्स चेक /डी०डी०/ RTGS के माध्यम से Jharkhand Affordable Housing Development Fund (JAHDF) में जमा करानी होगी। तत्पश्चात् संबंधित लाभुक को उक्त आवास का कब्जा (Possession) दिया जाएगा।
- 10.4. लाभुकों को आवासों से संबंधित समय—समय पर लागू होनेवाले विभिन्न करों यथा समस्त निकाय कर, स्थानीय निकायों या शासन द्वारा निर्गत नियम/उपनियम के अंतर्गत लगने वाले करों का भुगतान, कब्जा लेने की तिथि से समय—समय पर करना अनिवार्य होगा।

11. ऋण के लिए सुविधा

- 11.1. आवास पात्रता के बाद लाभुक अंशदान के भुगतान के लिए जिन लाभुकों को स्वयं के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, उन्हें वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में निकाय द्वारा सलाह एवं सहायता प्रदान की जाएगी।
- 11.2. इस संबंध में बैंकों से लाभुकों को ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहुलियत (Facilitation) के लिए निदेशालय / Implementing Agency के द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ द्विपक्षीय MOU किया जाएगा।
- 11.3. लाभुकों द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान बैंकों द्वारा निर्धारित मापदण्डों/औपचारिकताओं के अनुसार करना होगा।

12. लाभुक अंशदान की देय राशि

- 12.1. आवास आवंटन के पश्चात् आवेदक को निम्नानुसार राशि जमा करानी होगी।

क्र०	किश्त	विवरण	आवासीय इकाई के मूल्य की राशि
1.	सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit)		रु० 5,000/-
2.	प्रथम किश्त	आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिन के अंदर	रु० 20,000/- अग्रिम राशि
3.	द्वितीय किश्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 25% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान –25,000 रु०) का 25 प्रतिशत राशि
4.	तृतीय किश्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 50% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान –25,000 रु०) का 25 प्रतिशत राशि
5.	चतुर्थ किश्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 75% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान –25,000 रु०) का 25 प्रतिशत राशि
6.	पंचम किश्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 90% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान –25,000 रु०) का 25 प्रतिशत राशि

12.2. आवंटी लाभुक, लाभुक अंशदान का भुगतान संबंधित निर्माणाधीन ब्लॉक के प्रगति (निर्माण प्रतिशत) के आधार पर करेगा।

13. ऋण के लिए सुविधा

13.1. आवास पात्रता के बाद लाभुक अंशदान के भुगतान के लिए जिन लाभुकों को स्वयं के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, उन्हें वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में निकाय द्वारा सलाह एवं सहायता प्रदान की जाएगी।

13.2. इस संबंध में बैंकों से लाभुकों को ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता (Facilitation) के लिए निदेशालय / Implementing Agency के द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ द्विपक्षीय MOU किया जाएगा।

13.3. लाभुकों द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान बैंकों द्वारा निर्धारित मापदण्डों / औपचारिकताओं के अनुसार करना होगा।

14. भ्रामक अभ्यावदेन अथवा तथ्यों का छिपाना :-

14.1. यदि पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं अथवा उसने वास्तविक तथ्यों को छिपाया है, तो फ्लैट का आवंटन किसी भी चरण में बिना बताये निरस्त किया जा सकता है, उसे भविष्य में होने वाले आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने से भी वंचित भी कर दिया जायेगा। साथ ही जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

15. आवासों का प्रयोग:-

आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। आवंटी अपने अनुसार फ्लैट का स्वरूप बदल नहीं सकते हैं।

16. अन्यान्य महत्वपूर्ण सूचनायें:-

16.1. उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में किसी भी नियम / शर्त के संशोधन का सर्वाधिकार नगर विकास एवं आवास विभाग को निहित होगा, जो समस्त आवेदकों / आवंटियों को मान्य होंगे।

16.2. योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में न्युनानुपात परिवर्तन संभव है, जो कि अंतिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा, जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा।

16.3. इस योजना से संबंधित प्रत्येक मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

16.4. किसी भी विवाद की दशा में राँची न्यायालय को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

16.5. आवेदक आवेदन के पूर्व ही परियोजना स्थल को जाँच के पश्चात संतुष्ट होकर आवेदन देंगे बाद में किसी प्रकार का परियोजना स्थल के संबंध में दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

आवासीय परियोजना परिसर में व्यवसायिक गतिविधियों यथा दुकान, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के माध्यम से राजस्व

संग्रहण का कार्य Resident Welfare Association द्वारा किया जाएगा। संग्रहित राजस्व के माध्यम से आवासीय

परियोजना का रख-रखाव (Maintenance) किया जाएगा।

उपरोक्त समस्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

स्थान:-राँची

दिनांक:-.....

.....
आवेदक के हस्ताक्षर



प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)
Light House Project, आनि, राँची
राँची नगर निगम



लाभुक की मूल प्रति
चालान प्रपत्र

Survey-ID दिनांक

आवेदक का पूरा नाम:.....

आवेदक का पूरा पता :.....

:.....

आवेदक का बैंक खाता सं०

बैंक का नाम/शाखा

IFSC Code

परियोजना का नाम जहाँ लाभुक इच्छुक है.....

.....

बैंक का नाम जहाँ आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं:.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या :

तिथि एवं समय:



प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)

Light House Project, आनि, राँची

राँची नगर निगम

निकाय की प्रति
चालान प्रपत्र

Survey-ID दिनांक

आवेदक का पूरा नाम:.....

आवेदक का पूरा पता :.....

:.....

आवेदक का बैंक खाता सं०

बैंक का नाम/शाखा

IFSC Code

परियोजना का नाम जहाँ लाभुक इच्छुक है.....

.....

बैंक का नाम जहाँ आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं:.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या :

तिथि एवं समय:



प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)

Light House Project, आनि, राँची

राँची नगर निगम

बैंक की प्रति
चालान प्रपत्र

Survey-ID दिनांक

आवेदक का पूरा नाम:.....

आवेदक का पूरा पता :.....

:.....

आवेदक का बैंक खाता सं०

बैंक का नाम/शाखा

IFSC Code

परियोजना का नाम जहाँ लाभुक इच्छुक है.....

.....

बैंक का नाम जहाँ आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं:.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या :

तिथि एवं समय:





राँची नगर निगम

Light House Project, राँची

लाभुक सहमति पत्र

लाभुक सहमति पत्र सं०.....

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री (लाभुक का नाम) पिता/पति श्री (लाभुक के पिता/पति का नाम), मोहल्ला वार्ड संख्या:..... थाना:..... अंचल:..... नगर निकाय :..... जिला:..... का निवासी हूँ। स्थानीय नगर निकाय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक “भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण” अंतर्गत नई एवं उभरती तकनीक से **Light House Project** अंतर्गत निर्मित होने वाले आवासों में से आवंटित किए जाने वाले आवास हेतु लाभुक के लिए मेरा चयन किया गया है। मैं आज दिनांक :..... समय:..... (पूर्वाहन/अपराहन) को इस सहमति पत्र के माध्यम से निम्नांकित वचन को सत्यापित करता/करती हूँ:-

1. मैं उक्त निकाय अंतर्गत अवस्थित मोहल्ला में रहता/रहती हूँ। १
2. मैं उक्त निकाय/वार्ड में विगत वर्षों से वासित हूँ।
3. मैं कमजोर आय वर्ग का/की लाभुक हूँ। मेरी वार्षिक आय रु०..... है।
4. मेरा या मेरे परिवार का पूरे भारत वर्ष मे कहीं भी पक्का मकान नहीं है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक अंतर्गत आवास प्राप्त करने की सभी अहर्ता पूरी करता/करती हूँ।
5. मेरा लाभुक सं० :..... है।
6. मैं आवास आवंटित किए जाने हेतु निकाय द्वारा वांछित सभी दस्तावेज निकाय को उपलब्ध करूँगा/करूँगी।
7. मैं आवास आवंटित किए जाने हेतु सहमति पत्र के साथ निबंधन शुल्क के रूप में रु० 5000/- निकाय में जमा कर रहा/रही हूँ जिसका समावेशन हमारे लाभुक अंशदान में किया जाएगा। भविष्य में यदि मैं आवास लेने हेतु इच्छुक रहूँगा/रहूँगी तो मेरे द्वारा जमा किया गया निबंधन शुल्क निकाय द्वारा वापस नहीं किया जाएगा।
8. मैं स्वेच्छा से निकाय द्वारा लौटरी के माध्यम से आवंटित आवास में रहने को सहमत हूँ।
9. मैं योजना अंतर्गत आवंटित आवास में आवंटन से एक माह या निकाय द्वारा आवंटित समय सीमा के अंदर नए आवंटित आवास में चला/चली जाऊँगा/जाऊँगी। निश्चित समय सीमा के अंदर यदि मेरे द्वारा उक्त आवंटित आवास ग्रहण नहीं किया जाता है तो हमें आवंटित आवास निकाय द्वारा रद्द कर दिया जा सकता है, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगा/होगी।
10. मैं योजना अंतर्गत आवंटित आवास को प्रथम 15 वर्षों तक न बेचूँगा/बेचूँगी, न किसी को लीज पर दूँगा/दूँगी और न ही किसी को किराए पर दूँगा/दूँगी।

11. यदि मुझे आवंटित आवास के बेचने/लीज पर देने/किराए पर देने/किसी अन्य को हस्तांतरित करने की सूचना निकाय को मिलती है तो वह इसकी जाँच कराते हुए सही पाए जाने पर हमारा आवंटन रद्द कर मेरे द्वारा जमा की गई लाभुक अंशदान को जब्त कर लेगी एवं भविष्य में मैं इस प्रकार के किसी योजनान्तर्गत आवास प्राप्त करने के योग्य नहीं रहूँगा/रहूँगी।
12. मुझे आवंटित आवास पर मेरे बाद मेरे विधिक उत्तराधिकारी का अधिकार होगा।
13. मैं योजना अंतर्गत आवास प्राप्त करने हेतु लाभुक अंशदान की राशि रु० 6.79 लाख नियमानुसार निकाय में जमा कर दूँगा/दूँगी। ससमय लाभुक अंशदान नहीं जमा करने के विरुद्ध हमारा आवंटन रद्द कर मेरे द्वारा जमा की गई लाभुक अंशदान को जब्त कर लेगी एवं भविष्य में मैं इस प्रकार के किसी योजनान्तर्गत आवास प्राप्त करने के योग्य नहीं रहूँगा/रहूँगी।
14. मेरे द्वारा यदि Bank से Loan लेने की स्थिति में Bank Loan को ससमय जमा न करने की रिति में भी आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
15. मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई कोई भी जानकारी गलत/छुपाया गया पाया जाता है तो निकाय द्वारा लाभुक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा।

मैंने उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों को पढ़/सुन एवं समझ लिया है और सभी तथ्यों से सहमत हो कर सहमति पत्र पर अपना हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान लगा रहा/रही हूँ।

लाभुक का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान
लाभुक का नाम:



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(प्रधानमंत्री आवास योजना कोषांग)

कचहरी रोड, राँची – 834001

ईमेल आई डी:- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक:— 177

दिनांक:— 05.07.2021

विज्ञाप्ति

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक “**Light House Project**” अन्तर्गत आवासों के आंवटन हेतु विज्ञापन।

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राँची नगर निगम के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक “भागीदारी में किफायती आवास” अन्तर्गत “**Light House Project**” में नई एवं उभरती तकनीक से राजधानी राँची के आनी मौजा, मौसीबाड़ी मैदान, पंचमुखी मंदिर के नजदीक, सेक्टर-01, धुर्वा में कुल-1008 आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें इच्छुक लाभार्थी योजना विवरणीका (**Project Brochure**) निकाय के **Website** से निःशुल्क **Download** कर सकते हैं अथवा निगम कार्यालय के रोकड़ शाखा में 200/- रु० (**Non Refundable**) भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है।

योग्य लाभार्थी योजना विवरणीका में संलग्न चालान में सुरक्षा जमा (Security Deposit) राशि के रूप में 5,000/- रु० की राशि कैनरा बैंक, एस०एन० गाँगुली रोड शाखा के खाता का नाम— **LIGHT HOUSE PROJECT, DHURWA, IFSC code: CNRB0005365**, खाता सं०—5365101002120 में दिनांक— **01.07.2021** से **31.07.2021** तक जमा करना सुनिश्चित करें।

अधिक जानकारी के लिए राँची नगर निगम द्वारा जारी की गयी **Toll Free No :- 0651-2200011, 9431104429** पर सम्पर्क करें।

नोट:— कोरोना वायरस **Covid-19** महामारी को देखते हुए सभी लाभुकों एवं सभी कर्मियों से अनुरोध है कि सरकार द्वारा दिये गये गाइडलाइन का पालन करेंगे।
("दवाई भी, कड़ाई भी")

ह०/-

सहायक नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

